न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 199/2019 प्रार्थना पत्र

जीसीएमएस न0 2019/00580

जानी बाई पत्नि बगदीराम डांगी निवासी सतखंडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

––प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकारजरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और से:– अधिवक्ता जगदीश मेनारिया उपस्थित

आदेश

दिनांकः–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की स्वामित्व आराजीयात मौजा सतखंडा प0ह0 सतखण्डा तह0 निम्बाहेडा उंखलिया प0ह0 उंखलिया तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 218 के आराजी नं0 1433 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी न0 1435 रकबा 0.2400 हे0, आराजी न0 1816 रकबा 0.5400 हे0, आराजी न. 1840 रकबा 0.7600 है0, आराजी न0 1846 रकबा 0.200 है0, आराजी न0 2060 रकबा 0.1900 है0 जिसके पुराने आराजी न0 428/330 रकवा 5 वीघा आराजी न0 337 रकबार 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे की हैं । साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं । खेमराज पिता मुला जी डांगी निवासी सतखंडा तह0 निम्बाहेडा के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी में से खेमराज का 1/10 हक हिस्सा प्रार्थीया ने जरिये विक्रय पत्र 19/06/2012 पंजीकृत दिनांक 19.06.2012 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम जरिये इंतकाल न. 7107 दिनांक 05.12.2012 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ, तथा वक्त खरीद से प्रार्थीया उक्त आराजीयात पर काविज होकर काश्त करती चली आ रही। संवत 2073–2076 के रोटेशन संवत् 2073–2076 के रोटेशन में प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करना रह गया उक्त त्रुटी राजस्व कर्मचारीयो की गलती की वजह से हुई प्रार्थीया का अपनी खरीद शुदा आराजी पर वक्त खरीद से लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा चला आ रहा है। तथा विक्रेता खातेदार खेमराज पिता मुला डांगी का नाम गलत रूप से अंकन कर खेमराज पिता मुला डांगी के बजाए भीमराज पिता मुला अंकित कर दिया उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारीयो की गलती की वजह से हुई जो लिपिकीय भुल है। जिसको दुरूस्त कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने एवं भीमराज के स्थान पर खेमराज किया जाना उचित व न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं गत भू प्रबंध खाता संख्या 178/2058–61 एवं नामा0 सं 1707 के निर्णय अनुसार वर्तमान खातं में ग्राम सतखण्डा की आराजी न. 1433,1435,1816,1840,1846,2060 किता 6 कुल रकबा 2.22 है0 में अंकित पृविष्ठि भीजराज पिता मूला 1/10 डांगी सा. देह के स्थान पर जानी बाई पत्नि बगदीराम 1/10 डांगी सा. देह की प्रस्तावित शुद्धि की जाना उचित है। मौका रिकार्ड की रिपोर्ट सेवा मे पेश है।

दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार और तहसीलदार निम्बाहेडा के रिपोर्ट अनुसार वाक गत भू प्रबंध खाता संख्या 178/2058–61 एवं नामा0 सं 1707 के निर्णय अनुसार वर्तमान खातां में ग्राम सतखण्डा आराजी न. 1433,1435,1816,1840,1846,2060 किता 6 कुल रकबा 2.22 है0 में अंकित पृविष्ठि भीजराज पिता मूला 1/10 डांगी सा. देह के स्थान पर जानी बाई पत्नि बगदीराम 1/10 डांगी सा. देह को दुरुस्त कर तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.8.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल भुमार होकर होकर नम्बर से कम हो दाखील दपतर हो।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा